# प्रेस नोट

## डुप्लीकेट ईपिक निःशुल्क प्रदाय किए जाने के संबंध में।

भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाता पर्ची के साथ मतदाता फोटो परिचय–पत्र अथवा आयोग द्वारा मान्य किये गये निर्धारित 11 प्रकार के दस्तावेज के आधार पर मतदाता की पहचान कर मतदान करने की अनुमति प्रदान करने हेतु निर्देशित किया हैं।

राजनैतिक दलों के द्वारा यह मांग समय–समय पर उठाई जाती रही है कि चूंकि विगत दो–तीन चुनावों में वोटर पर्ची से मतदाताओं की पहचान की गई एवं वर्तमान लोकसभा निर्वाचन में मतदाता वोटर पर्ची मतदाताओं की सुविधा हेतु जारी की जावेगी परन्तु मतदान केन्द्र में पहचान हेतु मान्य नहीं होगी। अतः मतदाताओं को ईपिक की आवश्यकता की पूर्ति हेतु विशेष अभियान चलाने हेतु कलेक्टर समस्त को निर्देश दिये गये हैं। इसी तारतम्य में इस कार्यालय द्वारा यह आदेश जारी किये गये कि ऐसे मतदाता जिनके द्वारा कई वर्षो से ईपिक का उपयोग किये जाने के कारण ईपिक कार्ड या डैमेज हुये हैं या गुम गये हैं, उन्हें नवीन कार्ड बनाकर दिया जावे। उक्त संबंध में मार्च के अंतिम सप्ताह दिनांक 30.03.2019 तक विशेष अभियान के अंतर्गत डुप्लीकेट पहचान–पत्र प्रदान करने हेतु निर्देशित किया है ताकि इस चुनाव में कोई भी मतदाता पहचान–पत्र के कारण मतदान करने से वंचित न हो पाये।

मतदाता परिचय पत्र प्रथम बार वर्ष 1995–96 में तैयार किए गए थे ऐसे मतदाता जिनके पास ईपिक कार्ड बहुत पुराने/खराब होने/नष्ट होने/गुम होने की वजह से आगामी लोकसभा निर्वाचन 2019 में उन्हें अपने मतदाताधिकार का उपयोग करने में कठिनाई होगी। उनको अपने मताधिकार का उपयोग प्रदान करने की दृष्टि से डुप्लीकेट ईपिक निःशुल्क प्रदाय किए जाने का निर्णय लिया गया है।

यह आदेश भारत निर्वाचन आयोग के निर्वाचक नामावली के मैनुअल 2016 की कंडिका 14.8.5 के अनुसार मतदाताओं द्वारा दिनांक 30.03.2019 तक भरे गये डुप्लीकेट मतदाता परिचय पत्र के आवेदनों में कोई भी शुल्क नहीं लिया जाने के अद्यधीन विशेष प्रकरण में जारी किया गया है।